राज्य शिक्षा केन्द्र

डी.एल.एड. प्रवेश वर्ष 2020–21

डी.एल.एड. प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात् हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आउट निकाले
2. निकाले गये प्रिन्ट आउट की सभी प्रविष्टियों को चेक कर ले। यदि आपके संबंध में कोई प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण लगे तो उसे एडिट के ऑप्शन में जाकर सुधार कर लें। **निर्धारित तिथि के बाद एडिट का आप्शन उपलब्ध नहीं रहेगा।**
3. राज्य शिक्षा केन्द्र अथवा एम.पी.ऑनलाइन के द्वारा पृथक से त्रुटि सुधार का आवेदन मान्य नहीं होगा।
4. कक्षा 12 वीं के प्राप्तांक एवं उतीर्ण किये गये बोर्ड की जानकारी अवश्य जॉच लें अन्यथा परीक्षा आवेदन पत्र के अवसर पर इस त्रुटि के आधार पर परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त हो सकता है।
5. आपके द्वारा अपलोड किये जाने वाले सभी दस्तावेज का मिलान अवश्य कर लें। विशेष रूप से अंक सूचियां, फोटोग्राफ, मूलनिवासी, जाति प्रमाण पत्र EWS के संबंधित प्रमाण पत्र इत्यादि की जॉच अवश्य कर लें।
6. आवेदन पत्र में जो मोबाइल नम्बर दिया जाएगा उसी नम्बर पर OTP पासवर्ड एवं अन्य आवश्यक जानकारियां प्रेषित की जाएगी । अतः इस मोबाइल नम्बर को समय समय पर चेक करते रहे यदि आपके द्वारा मोबाइलन नम्बर बदल दिया जाएगा तो प्रवेश संबंधी कोई भी निर्देश की जानकारी नहीं मिलेगी
7. प्रवेश हेतु संस्था का चयन करते समय यह ध्यान रहे कि आपके द्वारा चयनित संस्था का ही आवंटन किया जाएगा। अतः संस्था चयन हेतु किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर न रहें स्वयं जिन महाविद्यालयों में प्रवेश लेना चाहते हों केवल उनका ही चयन कर प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करे।
8. यद्यपि प्रवेश प्राप्त होनें की स्थिति में एम.पी.ऑनलाइन द्वारा दिये गये मोबाइल नम्बर पर SMS द्वारा सूचित किया जाएगा तथापि समय–सारणी के अनुसार निर्धारित तिथि को प्रवेश/प्रतीक्षा सूची को एम.पी.ऑनलाइन पोर्टल पर देखकर महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अलॉटमेंट लेटर का प्रिन्ट निकाल लें।
9. संबंधित महाविद्यालय में प्रवेश के समय अलॉटमेंट लेटर एवं आपके द्वारा अपलोड किये गये समस्त दस्तावेजों की मूल प्रतियॉ साथ में लेकर उपस्थित होवें। दस्तावेजों की मूल प्रति के

आधार पर महाविद्यालय द्वारा आपका प्रवेश सूची से सत्यापन किया जाएगा। **मूल दस्तावेज महाविद्यालय में जमा न करावें ।**

10. दस्तावेज सत्यापन का दायित्व संबंधित महाविद्यालय का है। प्रवेश प्रदान करने पर यह माना जावेगा कि प्रवेशार्थी के सभी दस्तावेजो का मिलान महाविद्यालय द्वारा कर लिा गया है। सीट लॉक होने के उपरान्त दस्तावेजो में सुधार संबंधी किसी भी प्रकार के आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

11. वर्ष 2020-21 की प्रवेश प्रक्रिया में तीनो राउण्ड में संस्था चयन का अवसर उपलब्ध रहेगा।

12. प्रथम एवं तृतीय राउण्ड में सभी महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश दिये जायेंगे। द्वितीय राउण्ड में अल्पसंख्यक संस्था 50 प्रतिशत सीट्स पर स्वयं के स्तर से प्रवेश देकर पोर्टल पर एन्ट्री करेंगे।